

'199980/2024

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
ई पत्रावली संख्या-70282
देहरादून, दिनांक: 16 मार्च, 2024।

अधिसूचना

आवास विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न प्राधिकरणों में एकल आवास, व्यावसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथालॉजी लैब/डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल क्रेच एवं प्ले ग्रुप के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनित किया जाना है। अतः आवास विभाग के शासनादेश संख्या-1152/V-2/2019-105 (आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक: 27.08.2019 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत दिनांक: 31.12.2023 तक, उक्त श्रेणी के भवनों में किये गये अनियमित निर्माण को शमनित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार शमन की कार्यवाही वर्ष, 2017 के प्रचलित सर्किल दरों के अनुसार अनुमन्य होगी। इस "एक बार समाधान योजना" की वैधता अवधि 01 अप्रैल, 2024 से 30.09.2024 तक होगी।

Signed by Atar Singh

Date: 16-03-2024 14:46:57

(अतर सिंह)

अपर सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मण्डलायुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 7- उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 10- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 11- निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।